धर्म ध्वजा संग मेलेश्वर महादेव की 31वीं पंचक्रोशी यात्रा शुरू

उन्हेल। ऐतिहासिक और धार्मिक आस्था के केंद्र मेलेश्वर महादेव की 31वीं पंचक्रोशी यात्रा शनिवार को धर्मध्वजा के साथ श्रद्धा एवं उत्साहपूर्वक प्रारंभ हुई। यात्रा का शुभारंभ पं. महावीर आमेठा, श्यामलाल शर्मा एवं भरतलाल शर्मा की अगुवाई में किया गया।

यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व मेलेश्वर महादेव मंदिर में विधि-विधान से पूजन, अर्चन एवं अभिषेक किया गया तथा धर्मध्वजा का पूजन कर नागजी चंद्रेश्वर से आशीर्वाद लेकर श्रद्धालु भक्तजन भगवत भजनों के साथ यात्रा पर रवाना हुए। इस दौरान जीवन सिंह (ग्राम आक्याधांग) एवं नगजी आंजना धर्मध्वजा लेकर यात्रा में आगे चल रहे थे। लगभग 110 किलोमीटर की पंचदिवसीय पंचक्रोशी यात्रा शनिवार को गुराछा, मुंडला, पानखेड़ी और हापाखेड़ा होते हुए दोपहर में ग्राम अंतरालिया पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने भोजन एवं मध्यान्ह विश्राम किया। इसके पश्चात यात्रा कुवाडिया, मुंडला परवल एवं रुद्रखेड़ा होते हुए ग्राम धुलेट स्थित धुर्जटेश्वर महादेव मंदिर पहुंची, जहां रात्रि विश्राम किया गया। रविवार को प्रात: धुर्जटेश्वर महादेव का पूजन, अर्चन एवं अभिषेक कर यात्रा पुन: प्रारंभ होगी। यात्रा ग्राम कड़ाई में चिंतामन गणेश के दर्शन करने के पश्चात महिदपुर पहुंचेगी। महिदपुर नगर के विभिन्न धार्मिक स्थलों के दर्शन के बाद श्रद्धालु दोपहर में कोल्हापुर स्थित देवी महालक्ष्मी मंदिर पहुंचकर पूजन-अर्चन करेंगे तथा वहीं दोपहर का विश्राम होगा। यात्रा मार्ग में विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं का शीतल पेय, फलाहार एवं साबूदाने की खिचड़ी वितरित कर तथा पुष्पवर्षा कर स्वागत किया गया।

इस यात्रा में अविनाश विपट, पद्माकर पाध्ये, महेश पोरवाल, अंतर सिंह आंजना, फतेह सिंह आंजना, रेवाशंकर राठौड़ सहित उन्हेल, आलोट जागीर एवं आसपास के क्षेत्रों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्तजन शामिल हुए। यह पंचक्रोशी यात्रा क्षेत्र की प्राचीन धार्मिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बनी हुई है।

सेवा कार्यों का महाकुंभ : लायंस क्लब की रीजन कॉन्फ्रेंस सिद्धार्थ आज उज्जैन में

उज्जैन। लायंस इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3233 जी 2, रीजन-2 के तत्वावधान में रविवार को रीजन कॉन्फ्रेंस सिद्धार्थ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। रीजन चेयरपर्सन एमजेएफ प्रदीप यादव और मंजू यादव के संयोजन में कार्यक्रम इंदौर रोड स्थित होटल पुखराज में सुबह 9.30 बजे शुरू होगा।

इस रीजन कॉन्फ्रेंस को सेवा कार्यों का महाकुंभ माना जा रहा है, जिसमें विभिन्न लायंस क्लबों द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों की सराहना और उनका सम्मान किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एमजेएफ लायन प्रवीण वशिष्ठ उपस्थित रहेंगे। वहीं, पूर्व मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन एमजेएफ लायन द्वारका जालान (पुणे) की-नोट स्पीकर मुख्य वक्ता के रूप में सदस्यों का मार्गदर्शन करेंगे।

सर्वश्रेष्ठ कार्यों पर पुरस्कार भी, बैनर प्रेजेंटेशन रहेगा खास

रीजन सचिव लायन देवाशीष राय ने जानकारी देते हुए बताया कि कॉन्फ्रेंस में लायंस क्लबों द्वारा किए गए विभिन्न उत्कृष्ट सेवा कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा, एक विशेष प्रतियोगिता भी आयोजित होगी जिसमें बेस्ट पिन कलेक्शन, बेस्ट फोटो एल्बम और बेस्ट विजिटिंग कार्ड का चयन कर उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। कार्यक्रम में सभी क्लबों के अध्यक्षों द्वारा अपने क्लब का बैनर प्रेजेंटेशन भी किया जाएगा।

अति विशिष्ट अतिथि के रूप में मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन पीएमजेएफ लायन मनीष शाह शिरकत करेंगे। इनके अलावा, विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्रथम वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डिस्ट्रिक्ट 3233 जी2 एमजेएफ लायन महेश मालवीय, प्रथम वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डिस्ट्रिक्ट 3233 जी1 एमजेएफ लायन जयप्रकाश त्रिपाठी, प्रथम वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डिस्ट्रिक्ट 3233 सी एमजेएफ लायन रिपुदमन सिंह पुसारी, द्वितीय वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पीएमजेएफ लायन पंकज मारू सहित कई पीडीजी उपस्थित रहेंगे।

आयोजन समिति और मेजबान: इस भव्य कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन लायन डॉ. सतिंदर सलूजा और सचिव लायन डॉ. तपेश राय हैं। कार्यक्रम का सफल संचालन एमओसी लायन अशोक भाटी द्वारा किया जाएगा।

एक नजर में

व्यंग्यकार डॉ. हरीशकुमार सिंह को अखिल भारतीय हिंदी साहित्य व्यंग्य लेखन पुरस्कार

उज्जैन। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उज्जैन का नाम एक बार फिर राष्ट्रीय पटल पर गौरवान्वित हुआ है। शहर के प्रतिष्ठित व्यंग्यकार डॉ. हरीशकुमार सिंह को साहित्य गरिमा पुरस्कार समिति, हैदराबाद द्वारा वर्ष 2025 का अखिल भारतीय आचार्य कृष्णदत्त हिंदी साहित्य व्यंग्य लेखन पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। यह सम्मान उनकी चर्चित कृति चयनित व्यंग्य रचनाए के लिए दिया जा रहा है। समिति ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रविष्टियों का मूल्यांकन करने के बाद डॉ. सिंह के नाम पर मुहर लगाई। पुरस्कार स्वरूप उन्हें 11,000 रुपये की नकद राशि और प्रशस्ति पत्र भेंट किया जाएगा। यह पुरस्कार हैदराबाद में आयोजित होने वाले एक गरिमामय समारोह में प्रदान किया जाएगा। व्यंग्यकार मुकेश जोशी ने बताया कि डॉ. हरीशकुमार सिंह हिंदी व्यंग्य की दुनिया में एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। अब तक उनके 9 व्यंग्य संकलन और व्यंग्य समालोचना सहित विभिन्न विषयों पर कई महत्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उन्होंने अनेक व्यंग्य संकलनों का कुशलतापूर्वक संपादन भी किया है। उनके साहित्य की प्रासंगिकता इतनी है कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (इंदौर) से उनके व्यंग्य लेखन पर शोध कार्य हो चुका है, जिस पर शोधार्थी को पीएचडी (डॉक्टरेट) की उपाधि प्रदान की गई है। उन्हें पूर्व में मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद की प्रेमचंद सृजन पीठ से प्रतिष्ठित कर्मभूमि सम्मान सहित कई अन्य राज्यस्तरीय और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। डॉ. सिंह की इस बड़ी उपलब्धि पर उज्जैन के साहित्यकारों और मित्रों ने प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्हें शुभकामनाएँ देने वालों में प्रमुख रूप से प्रो. हरिमोहन बुधौलिया, डॉ. पिलकेंद्र अरोरा, मुकेश जोशी, दिनेश दिग्गज, शशांक दुबे, संतोष सुपेकर, रमेशचन्द्र शर्मा, संदीप सृजन और अनिल कुरेल शामिल हैं।

नेशनल लोक अदालत में 102 प्रकरणों का निराकरण

महिदपुर। जबलपुर के आदेशानुसार अध्यक्ष/प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन, पीसी गुप्ता के निर्देशानुसार 14 मार्च को जिला एवं सत्र न्यायालय, तहसील महिदपुर के न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया।

जिसमें प्रथम खण्डपीठ कमलेश सनोड़िया, तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय खण्डपीठ में सुशील कुमार जोशी, द्वितीय जिला न्यायाधीश एवं अपर सत्र न्यायाधीश, महिदपुर, तृतीय खण्डपीठ में चेतना दशोरा, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चतुर्थ खण्डपीठ में ऋतम्भरा राजे, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी एवं पंचम खण्डपीठ में शिवम सोनी चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, महिदपुर गठित की गई। नेशनल लोक अदालत का उद्घाटन प्रात: 11 बजे न्यायालय परिसर में तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष, कमलेश सनोड़िया, न्यायाधीश सुशील कुमार जोशी, सुश्री चेतना दशोरा, ऋतम्भरा राजे एवं शिवम सोनी, अधिवक्ता संघ के सचिव, शंकर सिंह तोमर एवं उपाध्य क्ष पल्लव मुखिया द्वारा दीप प्रज्जवलित कर किया गया। प्रथम खण्डपीठ में 03 सिविल प्रकरण, कुल 03 प्रकरण, द्वितीय खण्डपीठ में 06 सिविल, 07 आपराधिक प्रकरण, कुल 13 प्रकरण, तृतीय खण्डपीठ में 02 सिविल, 27 आपराधिक प्रकरण, कुल 29 प्रकरण, चतुर्थ खण्डपीठ में 18 आपराधिक प्रकरण एवं 01 सिविल प्रकरण, कुल 19 प्रकरण एवं पंचम खण्डपीठ में 37 आपराधिक प्रकरण एवं 01 सिविल प्रकरण, कुल 38 प्रकरण। इस प्रकार कुल लंबित 102 प्रकरणों का निराकरण किया गया। प्री लिटिगेशन के 589 प्रकरण निराकृत किये गये, जिनमें 78,89,476 रुपि जमा की गई तथा लंबित प्रकरणों में 53,20,687/- रूपये के आवार्ड, इजरा वसूली हुई। उक्त लोक अदालत में न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण, कर्मचारीगण एवं अन्य सभी विभागों के अधिकारीगण, कर्मचारीगण तथा पक्षकारों का सहयोग सफल रहा।

महिदपुर को जिला बनाने की मांग

महिदपुर। महिदपुर के त्याग, तपस्या व बलिदान के इतिहास तथा जिला बनाने की तमाम योग्यता होने की वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता व प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता अशोक नवलखा की लिखित मांग पर राज्य सरकार के लोक सेवा प्रबंधन विभाग भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक/एफ 9-1/2023/सात (एक) भोपाल दिनांक 23/09/25 द्वारा कलेक्टर उज्जैन को पत्र भेजकर पत्रों पर कार्रवाई कर अभिमत चाहा गया।

इस पर अपर कलेक्टर उज्जैन ने प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख उज्जैन के पत्र क्रमांक 1542/भू.अ./रा.नि./2025/दिनांक 22/12/25 के अनुसार व अनुविभागीय अधिकारी महिदपुर के प्रतिवेदन की प्रति संलग्न कर लिखा है कि जिला बनाने की कार्यवाही शासन स्तर पर प्रचलित एवं प्रस्तावित होती है। महिदपुर तहसील को जिला बनाने का विषय व निर्णय शासन स्तर से संबंधित है। कलेक्टर उज्जैन ने पत्र क्रमांक 1741/शि/राजस्व/2026 दिनांक 05/03/26 को अवर सचिव म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल को प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख जिला उज्जैन से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति सहित पत्र भोपाल भेजा है जिसकी एक प्रति अशोक नवलखा को भी अपर कलेक्टर उज्जैन ने भेजी है। उल्लेखनीय है कि महिदपुर को जिला बनाने की मांग निरंतर शासन प्रशासन व जन नेताओं से अशोक नवलखा करते आ रहे है। इसी का परिणाम है कि शासन को जनहित में उक्त मुद्दे पर कार्यवाही कर कलेक्टर से प्रतिवेदन लिया गया है।

नेशनल लोक अदालत में 213 प्रकरणों का निराकरण, 8287349 रुपए की वसूली भी

खाचरौद। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर एवं प्रधान जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उज्जैन के निर्देशानुशार तहसील विधिक सेवा समिति द्वारा न्यायालय परिसर में आज नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ प्रात: 10.50 बजे प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नीतूकांता वर्मा, द्वितीय जिला न्यायाधीश नीरज शर्मा, शैफाली सिंह व्यवहार न्यायाधीश वर्ग वरिष्ठ खण्ड, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड पंकज बुटानी द्वारा दीप प्रज्जवलित, माल्यार्पण कर एवं अभिभाषक संघ अध्यक्ष प्रवीण पंड्या, विद्युत मंडल कनिष्ठ यंत्री संजय मालवीय, समस्त बैंकों के बैंक मैनेजर, तथा नगरपालिका के समस्त पदाधिकारीगण एवम् न्यायालय के कर्मचारीगण द्वारा सरस्वती पूजन एवं माल्यार्पण कर लोक अदालत का शुभारंभ किया गया।

कार्यक्रम में न्यायालय के समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे। आयोजित

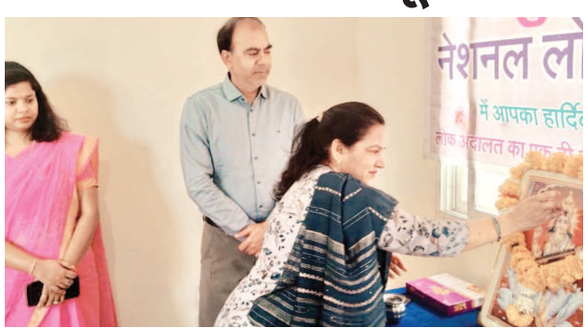

नेशनल लोक अदालत में नीतू कांता वर्मा प्रथम जिला एवं सत्र के न्यायालय में हिन्दू विवाह अधिनियम के 1, क्लेम प्रकरण 5 एवं विद्युत अधिनियम के 13, एमजेसी 5 इस प्रकार कुल 24 लंबित प्रकरणों का निराकरण किया गया। द्वितीय जिला न्यायाधीश नीरज शर्मा के न्यायालय से 1 क्लेम प्रकरण का निराकरण किया गया। न्यायाधीश शैफाली सिंह के न्यायलय के कुल 42 प्रकरण का निराकरण किया गया। पंकज बुटानी व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 के न्यायालय के कुल 36 प्रकरणों का निराकरण किया गया। जिसमें 32 आपराधिक प्रकरण, 04 एन आई एक्ट के प्रकरण, नगर पालिका जलकर व दुकान किराया, जलकर, दूर संचार विभाग व बैंक रिकवरी के प्रिलिटिगेशन प्रकरण में से 47 तथा विद्युत के प्रीलिटिगेशन 63 प्रकरणों का निराकारण हुआ। इस प्रकार कुल 110 प्रकरणों का निराकरण हुआ जिसमें 18 लाख 73 हजार 449 रुपये प्राप्त हुए। न्यायालय में लम्बित प्रकरणों में से 103 प्रकरणों का निराकरण किया गया।

डॉ. अंबेडकर मांगलिक भवन परिसर से अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी का आश्वासन

महिदपुर। बिरसा अंबेडकर फूले समाज कल्याण समिति द्वारा नारायणा रोड़ स्थित डॉ अंबेडकर मांगलिक भवन परिसर पर बढ़ते अतिक्रमण को रोकने को लेकर बार बार दिए ज्ञापन के बाद मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजा यादव नगर पालिका विभाग के कर्मचारियों के साथ 13 मार्च को मांगलिक भवन पहुंचे।

सर्वप्रथम उन्होंने बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण किया तत्पश्चात समिति व उपस्थित बहुजन समस्त संगठनों की बात सुनी। समिति संरक्षक जे के मालवीय ने समिति द्वारा किए व्यक्तिगत आर्थिक कार्यों से अवगत कराया साथ ही समिति अध्यक्ष दिनेश चौहान ने शेष कार्यों के लिए सीएमओ का ध्यान आकर्षित करवाया। पूर्व बी आर सी रमेशचंद्र देवड़ा ने विधायक दिनेश जैन बॉस द्वारा 10 लाख मांगलिक भवन परिसर के लिए नगर पालिका को दिए जाने की बात कही जिसका उपयोग परिसर के सौंदर्यीकरण के लिए किया जाएगा। तत्पश्चात समिति उपाध्यक्ष विक्रम सिंह सोलंकी द्वारा सीएमओ को भवन और परिसर का दौरा करवाया और बढ़ते अतिक्रमण से मांगलिक भवन परिसर को मुक्त करवाने हेतु निवेदन किया। सीएमओ द्वारा अतिक्रमणकारी को नोटिस जारी करने की बात कही। राजा यादव के प्रथम आगमन पर बाप समिति और उपस्थित सभी संगठनों ने पुष्पमाला पहनाकर अभिनंदन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बिरसा अंबेडकर फूले समाज कल्याण समिति और अन्य सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए। जिनमें मुख्य रूप से विजय सूर्यवंशी, रामचन्द्र जोकचंद, अनिल दावरे, नगजीलाल परिहार, फकीरचंद मालवीय, डॉक्टर जगदीश परमार, गोरीलाल मालवीय, नरेंद्र परमार, यशराज परमार, सलोनी परमार, राजेश मालवीय, राहुल वाघेला आदि उपस्थित रहे।

गृहस्थ महामंडलेश्वरों पर कार्रवाई के फैसले का पुजारी महासंघ ने किया स्वागत

उज्जैन। देश में साधु-संतों, बड़े विद्वानों और कथावाचकों की विशाल संख्या होने के बावजूद सनातन धर्म पर हो रहे कुठाराघात को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने कड़ा रुख अपनाया है। महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पुजारी और राष्ट्रीय सचिव रूपेश मेहता ने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रवींद्र पुरी द्वारा कालनेमी (वेशधारी) साधुओं और गृहस्थ महामंडलेश्वरों पर सख्त कार्रवाई करने के संकल्प का पुरजोर स्वागत किया है। इस संबंध में महासंघ ने अखाड़ा परिषद अध्यक्ष को एक विस्तृत पत्र भेजकर सनातन धर्म की रक्षा के लिए उनके इस वक्तव्य को दृढ़तापूर्वक लागू करने का आग्रह किया है। महासंघ के पदाधिकारियों का कहना है कि अखाड़ा परिषद के इस कड़े कदम से सनातन धर्म को मानने वाले लोगों में एक नई आशा बंधी है कि साधु समाज में आई विकृतियों पर अब प्रभावी रूप से अंकुश लगेगा। भेजे गए पत्र में इस बात का विशेष उल्लेख किया गया है कि देश में सबसे ज्यादा गृहस्थ महामंडलेश्वर उज्जैन में ही हैं। पत्र में शहर के कई ऐसे गृहस्थ महामंडलेश्वरों और कालनेमी साधुओं के नामों का भी जिक्र किया गया है, जो अपने अखाड़ों व आश्रमों में बाकायदा अपने परिवार के साथ निवास करते हैं और अपने नाती-पोतों के साथ खेलते देखे जा सकते हैं। महासंघ ने स्पष्ट मांग की है कि जो भी साधु-संत, महामंडलेश्वर और साध्वियां मंदिरों व अखाड़ों की मर्यादा, परंपरा और नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उन पर भी तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। पत्र के माध्यम से पुजारी महासंघ ने एक अन्य गंभीर और तार्किक सवाल भी खड़ा किया है। पदाधिकारियों ने कहा कि कुछ समय पूर्व शाही सवारी में प्रयुक्त शाही शब्द को मुस्लिम शब्द बताकर उसका कड़ा विरोध किया गया था। इस संदर्भ में महासंघ ने पूछा है कि यदि शाही शब्द मुस्लिम है, तो फिर संतों में चादर ओढ़ाने की प्रथा हिंदू है या मुस्लिम? महासंघ का तर्क है कि यदि चादर ओढ़ाने की यह प्रथा मुस्लिम है, तो साधु समाज में भी इसे पूरी तरह से बंद किया जाना चाहिए और इस ओर भी गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने पूर्ण विश्वास जताया है कि अखाड़ों से कालनेमी साधुओं और गृहस्थ महामंडलेश्वरों को हटाकर अखाड़ों के पूर्ण शुद्धिकरण के अपने इस अहम संकल्प से अखाड़ा परिषद अध्यक्ष कदम पीछे नहीं हटाएंगे।

शास्त्री नगर मैदान पर आज होगा राज्य स्तरीय शूटिंग बॉल टूर्नामेंट, विजेता टीम को मिलेंगे 11 हजार रुपए

उज्जैन। बाबा महाकाल की नगरी में खेल प्रेमियों के लिए रविवार, 15 मार्च को खेलों का महाकुंभ सजने जा रहा है। उज्जयिनी स्पोर्ट्स क्लब के तत्वावधान में शास्त्री नगर खेल मैदान पर द्वितीय वर्ष का एक दिवसीय राज्य स्तरीय शूटिंग बॉल (वॉलीबॉल) टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा। यह भव्य खेल आयोजन स्व. श्री लक्ष्मणदास जी विशनवानी एवं स्व. ममता श्रीकांत वर्मा जी की स्मृति में किया जा रहा है।

क्लब के संयोजक अधिवक्ता ललित सिंह चौहान ने बताया कि इस महाकुंभ में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ-साथ अन्य राज्यों की टीमें भी अपना दमखम दिखाएंगी। टूर्नामेंट में मैच शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक खेले जाएंगे, जिससे दर्शक दूधिया रोशनी में शानदार खेल का आनंद ले सकेंगे। आयोजन को समय सीमा में समेटने के लिए सीमित टीमों को ही प्रवेश दिया जा रहा है।

विजेताओं पर होगी नकद पुरस्कारों की बारिश: आयोजन समिति के सौरभ श्रीकांत वर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता में विजेता रहने वाली टीम को प्रथम पुरस्कार के रूप में 11,001 रुपए नकद और चमचमाती ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। वहीं उपविजेता टीम को द्वितीय पुरस्कार के रूप में 5,001 रुपए और ट्रॉफी दी जाएगी। इसके अलावा खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में बेस्ट शूटर, बेस्ट नेटर और बेस्ट डिफेंसर के विशेष आकर्षक इनाम भी रखे गए हैं।

खिलाड़ियों के लिए यह नियम रहेंगे अनिवार्य

आयोजकों ने टूर्नामेंट को अनुशासित और व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए नियम तय किए हैं, सभी भाग लेने वाली टीमों को सुबह 10 बजे अनिवार्य रूप से शास्त्री नगर ग्राउंड पर उपस्थित होना है। सभी टीमों के खिलाड़ियों का अपनी निर्धारित खेल किट (यूनिफॉर्म) में ही भाग लेना अनिवार्य है। जो बाहरी टीमें टूर्नामेंट के लिए आ रही हैं, उन्हें आयोजकों को फोन (9329216601, 9644444242) के माध्यम से अपनी उपस्थिति की पूर्व सूचना देना होगी ताकि मैचों का शेड्यूल सुव्यवस्थित रहे। शाम के समय सभी खिलाड़ियों के लिए आयोजन समिति की ओर से नि:शुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है। (टूर्नामेंट में किसी भी टीम को यात्रा भत्ता या किराया नहीं दिया जाएगा)।

खेल प्रेमियों से अपील

आयोजन समिति के ललित सिंह चौहान और सौरभ श्रीकांत वर्मा ने शहर के सभी खेल प्रेमियों और दर्शकों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में शास्त्री नगर मैदान पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करें और इस खेल महाकुंभ को सफल बनाएं।

एक नजर बाल विवाह, भिक्षावृत्ति और किशोर न्याय अधिनियम पर विशेषज्ञों ने दी जानकारी

मिशन वात्सल्य : बाल संरक्षण के लिए एकजुट हुए विभाग

उज्जैन। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मिशन वात्सल्य योजना के तहत 13 मार्च को जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य जिले में बाल संरक्षण सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाना और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना था।

कानूनी प्रावधानों और उत्तरदायित्वों पर मंथन: प्रशिक्षण के दौरान संरक्षण अधिकारी ने किशोर न्याय अधिनियम 2015, बाल भिक्षावृत्ति रोकने के उपाय, बाल विवाह निषेध और गैर-संस्थागत सेवाओं के तकनीकी पहलुओं पर विस्तृत प्रकाश डाला। विभागीय मास्टर ट्रेनर और बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष लोकेन्द्र शर्मा ने बाल संरक्षण में समिति के उत्तरदायित्वों, चाइल्ड लाइन की भूमिका और विभिन्न विभागों की कानूनी कार्यवाहियों के बारे में प्रशिक्षित किया।

पुलिस और संस्थानों की भूमिका पर चर्चा: विशेष किशोर इकाई की कार्यप्रणाली के बारे में पुलिस इकाई के अवधेश सिंह ने जानकारी दी। वहीं, दत्तक ग्रहण से जुड़ी प्रक्रियाओं पर सेवा भारती शिशु गृह के श्री मनीष बैरागी ने प्रशिक्षण दिया। किशोर न्याय बोर्ड की कार्यवाही के विषय में सदस्य विजेन्द्र सिंह अरोन्या ने अपने विचार साझा किए। जबकि बाल देखरेख संस्थाओं के संचालन पर संप्रेक्षण गृह के अधीक्षक मेहताब सिंह परस्ते ने मार्गदर्शन दिया।

बेहतर समन्वय के लिए बना नेटवर्क: जिला कार्यक्रम अधिकारी बृजेश त्रिपाठी ने कार्यशाला में मौजूद हितधारकों के समूह बनवाकर सामूहिक चर्चा आयोजित की। उन्होंने परियोजना अधिकारियों और पर्यवेक्षकों को निर्देश दिए कि वे ग्राम स्तर पर बाल संरक्षण सेवाओं को मजबूती से लागू करें। अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच भविष्य में मार्गदर्शन और सहायता के लिए संपर्क नंबरों का आदान-प्रदान भी किया गया ताकि समन्वय बना रहे।

इनकी रही विशेष मौजूदगी

कार्यशाला के समापन सत्र में सहायक संचालक रीना शर्मा ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर किशोर न्याय बोर्ड की सदस्या रजनी उपाध्याय विशेष रूप से उपस्थित रहीं। प्रशिक्षण में जिले के सभी थानों के बाल कल्याण अधिकारी, परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक और आईसीपीएस तथा विशेष किशोर इकाई का स्टाफ मौजूद रहा।